"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त, 2002—श्रावण 25, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

क्रमांक 1839/1535/2002/1/2.—श्री शान्तनु, भा.प्र.से. (.टी. 1997) की सेवायें भारत सरकार के अधिसूचना क्रमांक 17/47/2001-आई.ए.एस. (I), दिनांक निल जून, 2002 द्वारा [illegible]युक्ति पर तीन वर्ष की अवधि के लिये छत्तीसगढ़ शासन को [illegible] गई है. श्री शान्तनु को आगामी आदेश तक उप-सचिव, [छत्]तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2002

क्रमांक 2134/1745/2002/1/2.—श्री के. के. चक्रवर्ती, भा. प्र. से. (1970) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री आर. पी. बगई, भा. प्र. से. (1970) को अवकाश से लौटने पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

3. श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972) कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, सहकारिता विभाग को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री आर. सी. सिन्हा, भा. प्र. से. (1982) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री एम. के राउत, भा. प्र. से. (1984) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग तथा राहत कार्यों के सम्पादन के लिए राहत आयुक्त का कार्य सौंपा जाता है.

6. श्री एस. के. कुजुर, भा. प्र. से. (1986) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आगामी आदेश तक संचालक, लोक शिक्षण एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री अजयबारा प्रसाद आदिथाला, भा. प्र. से. (1986) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को आगामी आदेश तक संचालक, कृषि, संचालक, पशुपालन एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2002

क्रमांक 868/2002/1-8/स्था.—श्री व्ही. के. ध्रुव, अवर सचिव, को दिनांक 6-5-2002 से 22-5-2002 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23 एवं 24-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री ध्रुव को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. अवकाश से लौटने पर श्री ध्रुव को पुन: आदिमजाति, अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. ध्रुव यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2002

क्रमांक 1373/1767/2002/1-8/स्था.—श्री एन. यू. खान, रा. प्र. से., स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व, पुनर्वास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अवर सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास (अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्तानुसार पदस्थापना के फलस्वरूप श्री खान अवर सचिव, राजस्व एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

क्रमांक 872/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-6-2002 से 29-6-2002 तक 11 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री रघुवंशी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. रघुवंशी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2002

क्रमांक 874/2002/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्र. 551/2002/1-8/स्था, दिनांक 16-4-2002 द्वारा श्री आर. एम. अवर सचिव को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था अनुक्रम में दिनांक 1-5-2002 से 7-6-2002 तक 38 दिन

लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. बाकी सभी शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2002

क्रमांक 1797/1106/साप्रवि/2002/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1393/साप्रवि/2002/1/2, दिनांक 17-5-2002 द्वारा श्री एम. के. राउत, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 29 मई 2002 से 7 जून 2002 (11 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में दिनांक 8-6-2002 से 14-6-2002 (7 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16 जून 2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. उक्त आदेश दिनांक 17-5-2002 में उल्लेखित कंडिका (2) से (5) तक यथावत रहेगी.

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2002

क्रमांक 1821/2165/01/2/एक.—डॉ. बी. एस. अनंत, संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग को दिनांक 4-5-2001 से 30-6-2001 (58 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 1-7-2001 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री अनंत को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते [illegible]ी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

[illegible] प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनंत यदि अवकाश पर नहीं [illegible]तों अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2002

[illegible]ांक 1833/1449/साप्रवि/2002/1/2.—श्री व्ही. के. कपूर, [illegible]ष एवं लेखा को दिनांक 15-7-2002 से 19-7-2002 (5 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13, 14 जुलाई 2002 एवं 20, 21 जुलाई 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर को आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री कपूर को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

क्रमांक 1838/1518/साप्रवि/2002/1/2.—श्री एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 1-7-2002 से 8-7-2002 (8 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30-6-2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री तिवारी को अवकाश काल में अवकाश वेतन, अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी को संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2002

क्रमांक 1842/1478/साप्रवि/2002/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, उप सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 28-6-2002 से 12-7-2002 (15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा 13 एवं 14 जुलाई 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को उप-सचिव के पद पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अस्थाई रूप में आगामी आदेश तक पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन, व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2002

क्रमांक 1845/1445/2002/2/एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1559/1210/साप्रवि/2002/1/2, दिनांक 4 जून 2002 द्वारा श्री विवेक देवांगन, कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 17-6-2002 से 22-6-2002 (6 दिवस) तक का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया था. इसी अनुक्रम में श्री देवांगन को दिनांक 23 जून, 2002 से 29 जून, 2002 (7 दिवस) तक का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30-6-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

आदेश दिनांक 4 जून, 2002 में उल्लेखित कंडिका (2) से (7) तक यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2002

क्रमांक एफ 5-1/2/साप्रवि/9-1.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल (विधान) नियम

Raipur, the 1st July 2002

No. F-5-1/2/GAD/9-1.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of laws order, 2002.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time [illegible] ecified in the schedule to this Order, [illegible] force in the State of Madhya Pr[illegible] fore the formation of St[illegible] hereby extended to, and [illegible] State of Chhattisgarh unt[illegible] Subject to the modifications [illegible] for the words "Madhya Pr[illegible] occur the words "Ch[illegible]rh"

3. Any thing done [illegible] appointment, n[illegible] lation, certific[illegible] powers confe[illegible] specified in [illegible] the State of [illegible]

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Law (2)
1.	The Madhya Pradesh Civil Services Sports Rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक 864/2002/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 4-10-2001 से 6-10-2001 तक 3 दिन एवं दिनांक 20-5-2002 से 27-5-2002 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को पुन: अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. डी. गुप्ता यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक 232/व्ही.आई.पी./श्रम/2002.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की [illegible]पधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य [illegible]न एतद्द्वारा निर्देश देता है कि इस विषय में इसके पूर्व दिये गए [illegible] में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक लोक हित [illegible] रखते हुए अनुसूची के स्तम्भ (1) में दर्शाये गए स्थापना को अत्यावश्यक सेवा मानकर इस अधिनियम की धारा जो स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शाये गये हैं, स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे.

अनुसूची

स्थापनाओं की श्रेणी (1)	अधिनियम के उपबंध जो लागू नहीं होंगे (2)	निबंधन तथा शर्तें (3)
दवाई दुकानें (केमिस्ट तथा ड्रगिस्ट)	धारा 13 (1)	1. प्रत्येक सेवायुक्त को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश देना होगा.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-11-3/2002/16-ए.—ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-ई-4/2/2000/16-ए, दिनांक 1-11-2000 को निरस्त करते हुए राज्य शासन श्री एस. आर. दुग्गा को उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कार्मिक संघों का, जिनका उद्देश्य इस राज्य से सीमित है, के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का "रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन" नियुक्त करता है.

Raipur, the 19th July 2002

No. F-11-3/2002/16-A.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Trade Unions Act 1926 (No. 16 of 1926) the state Govt. hereby superceding the previous notification No. F-E-4/2/2000/16-A, Dated 1-11-2000 and appoints Shri S. R. Dugga Dy. Labour Commissioner to be the "Registrar of Trade Union" for the state of Chhattisgarh in relation to Trade Unions whose objects are confired to the state.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-16-ए/08/स्था./श्रम.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा न्यायाधीश श्री डी. एस. जैन को छत्तीसगढ़ [illegible]

के औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है.

Raipur, the 1st August 2002

No. F-16-A/08/Estt./Labour.—In exercise of the powers conferred by sub-section 9 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of the 1960), State Govt. hereby appoints Judge Shri D. S. Jain as president of the Chhattisgarh Industrial Court, with effect from the date he takes over charge until he attains the age of 65 years.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-16-ए/08/स्था./श्रम.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा न्यायाधीश श्री डी. एस. जैन को छत्तीसगढ़ औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने की अवधि के लिए नियुक्त करता है.

Raipur, the 1st August 2002

No. F-16-A/08/Estt./Labour.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 7-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947), State Govt. hereby appoints Judge Shri D. S. Jain as Presiding Officer of the State Indusitrial Tribunal, with effect from the date he takes over charge untill he attains the age of 65 years.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2002

क्रमांक 4665/18/02.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 48/अठारह-दो-77, दिनांक 21 फरवरी जो मध्यप्रदेश राजपत्र में असाधारण दिनांक 6 मार्च 1977 में प्रकाशित की गई थी की सीमाओं को वृद्धि करने हेतु राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से रायपुर जिले की रायपुर नगर पालिक निगम की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करने का आशय रखता है.

अनुसूची-1

(1)	उत्तर	ग्राम-	अटारी, हीरापुर जरवाय, सोनडोंगरी, गोगांव, गोंदवारा, भनपुरी तथा दलदल सिवनी राजस्व ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
(2)	पूर्व	ग्राम-	दलदल सिवनी, सड्डू, पण्डरीतराई, शंकरनगर, तेलीबांधा, लभाण्डी तथा फुंडहर राजस्व ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
(3)	दक्षिण	ग्राम-	भाटागांव, अमलीडीह, टिकरापारा उर्फ गभरापारा, मठपुरैना तथा भाटागांव राजस्व ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
(4)	पश्चिम	ग्राम-	भाटागांव, चंगोरभाटा, रायपुरा, सरोना, चंदनीडीह तथा अटारी राजस्व ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

अनुसूची-2

रायपुर नगर पालिक निगम की सीमा में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. नगर पालिक निगम सीमा में पूर्व में सम्मिलित अपूर्ण ग्राम जिन्हें पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नम्बर (3)
1.	तेलीबांधा	113
2.	शंकर नगर	109
3.	मोवा	109
4.	गोंदवारा	108
5.	गोगांव	1[illegible]

(1)	(2)	(3)
6.	खमतराई	108
7.	टाटीबंध	103
8.	चंगोराभाटा	105
9.	मठ पुरैना	105
10.	टिकरापारा	114
11.	पुरैना	113
12.	भाटागांव	105
13.	रायपुरा	104
14.	सरोना	104
15.	डगनियां	104
16.	रायपुर खास	106अ

2. नये राजस्व ग्राम जिन्हें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :—

क्रमांक	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)
1.	दलदल सिवनी	109
2.	भनपुरी	108
3.	सोंनडोंगरी	107
4.	हीरापुर जरवाय	103
5.	फुण्डहर	114
6.	लभाण्डी	113
7.	अमलीडीह	114
8.	चंदनीडीह	103
9.	अटारी	103
10.	सड्डू	109

उपरोक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तावित सीमा वृद्धि क्षेत्र के भीतर आने वाले स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित क्षेत्र का निवासी हो लिखित में अपनी आपत्ति रायपुर कलेक्टर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 16th July 2002

No. 4665/18/02.—In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby intends to extend the boundaries of the Raipur Municipal Corporation of Raipur district, by including following areas within the boundaries of the existing Municipal Corporation as notified in the department's notification No. 48/XVIII-2-77, dated 21-2-1977 which was published on 6th March, 1977 in the M. P. Gazette, and the new boundaries of will be as follows :—

ANNEXURE-1

The Boundaries of the Municipal Corporation after inclusion of new villages will be as follows :—

1.	North	Village- Atari, Hirapur jarvai, Sondongari, Gongaan, Gondwara, Bhanpuri and boundaries of Daldal Seoni revenue village on the north.
2.	East	Village- Daldal Seoni, Saddu, Pandaritarai, shanker- nagar, Telibanda, Labhandi and bondaries of Fundhar revenue village in the east.
3.	South	Village- Bhatagaon, Amlidih, Tikarapara, Mathpuraina and boundaries of Bhatgaon revenue village on the south.
4.	West	Village- Bhatgaon, Changorabhata, Raipura, Sarona Chandnidih and boundaries of Atari revenue village in the west.

ANNEXURE-2

The list of villages to be included in the existing boundaries of Municipal Corporation are as follows :—

1. Following villages which were partly included are proposed to be included fully in the boundaries of the Municipal Corporation :—

S. No. (1)	Name of village (2)	Patwari halka No. (3)
1.	Telibandha	113
2.	Shankernagar	109
3.	Mova	109
4.	Gondwara	108
5.	Gongaon	107
6.	Khamtarai	108
7.	Tatibandh	103
8.	Changorabhata	105
9.	Matthpuraina	105
10.	Tikarapara	114
11.	Puraina	113
12.	Bhatagaon	105
13.	Raipura	104
14.	Sarona	104
15.	Dangania	104
16.	Raipur Khaas	106 A

2. New villages which are to be included :—

S. No. (1)	Name of village (2)	Patwari halka No. (3)
1.	Daldal Seoni	109
2.	Bhanpuri	108
3.	Sondongari	107
4.	Hirapur jarvai	103
5.	Fundhar	114
6.	Labhandi	113
7.	Amlidih	114
8.	Chandnidih	103
9.	Ataari	103
10.	Saddu	109

Any local authority or a person who is resident of the proposed area, can submit his objection to the Collector, Raipur during the office hours, within 30 days from the date of publication of this Notification in the Gazette.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2002

क्रमांक 4664/18/02.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 "क" (1) (क्रमांक 37 सन् 1961) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से रायपुर जिले के लिए एक नयी नगरपालिका परिषद् का गठन करने का आशय रखता है जो बिरगांव नगरपालिका परिषद् कहलाएगी, तथा जिसकी सीमाएं निम्नानुसार होगी :—

अनुसूची-1

1. प्रस्तावित बिरगांव नगरपालिका परिषद् में सम्मिलित किए जाने वाले ग्रामों की सूची :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नम्बर (3)
1.	सरोना	102
2.	उरला	102
3.	अछोली	100
4.	रावांभाटा	100
5.	बिरगांव	102
6.	उरकुला	108

अनुसूची-2

2. बिरगांव नगरपालिका परिषद् की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

(1)	उत्तर	ग्राम-	उरला, अछोली, रावांभाटा तथा उरकुरा राजस्व ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
(2)	पूर्व	ग्राम-	रावांभाटा तथा उरकुला राजस्व ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
(3)	दक्षिण	ग्राम-	उरकुरा, बिरगांव तथा सरोरा राजस्व ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
(4)	पश्चिम	ग्राम-	सरोरा तथा उरला राजस्व ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उपरोक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तावित नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के भीतर आने वाले स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित क्षेत्र का निवासी हो लिखित में अपनी आपत्ति रायपुर कलेक्टर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 16th July 2002

No. 4664/18/02.—In exercise of the powers conferred by section 5-A (1) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby intends to constitute a new Municipal Council by including following areas in it's limits, which shall be called Birgaon Municipal Council for Raipur district from the date of publication of this Notification in the Gazette.

ANNEXURE-1

List of Villages which are to be included in the proposed Birgaon Municipal Council :—

S. No. (1)	Name of village (2)	Patwari halka No. (3)
1.	Sarona	102
2.	Urla	102
3.	Achholi	100
4.	Rawabhata	100
5.	Birgaon	102
6.	Urkura	108

ANNEXURE-2

1. The boundaries of the Birgaon Municipal Council will be as follows :—

1. North Village- Urla, Achholi, Rawabhata and upto the boundaries of the Urkura Revenue village on the north.

2. East Village- Rawabhata, Urkura and upto the boundaries of the Urkura revenue village in the east.

3. South Village- Urkura, Birgaon and upto the boundaries of Sarona revenue village on the South.

4. West Village- Sarona and upto the boundaries of the Urla revenue village in the west.

Any local authority or a person who is resident of the Proposed new Municipal area, can submit his objection to the Collector, Raipur during the office hours, within 30 days from the date of publication of this Notification in the Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 3-1/न. प्र./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, बागबाहरा के लिये (1) श्री दानवीर शर्मा, (2) श्री विवेकानंद ठाकुर को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से "एल्डरमेन" नामांकित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अल्ताफ अहमद, अवर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक 638/परिवहन/2002.—राज्य शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 22-45-87-आठ, दिनांक 5 मई, 1988 में एतद्द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए राज्य की राजधानी, जिला रायपुर को जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

1.	संभागायुक्त, रायपुर	अध्यक्ष
2.	पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर	सदस्य
3.	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़.	सदस्य
4.	जिलाध्यक्ष, रायपुर	सदस्य

समिति के शेष सदस्य यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. कावरे, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2002

क्रमांक 638/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 11 जुलाई, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. कावरे, अवर सचिव.

Raipur, the 11th July 2002

No. 638/Transport/2002.—The State Government, Transport Department hereby partially amends notification No. 22-45-87-VIII dated 5th May, 1988 and makes amendment in Chairman and Members of District Road Safety Committee for District Raipur, the State Capital as follows :—

1.	Commissioner, Raipur	Chairman
2.	Inspector General of Police, Raipur	Member
3.	Chairman, Capital Area Development, Authority, Chhattisgarh.	Member
4.	Collector, Raipur,	Member

The other members of the committee shall remain as before.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. D. KAWRE, Under Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 250/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम- मल्दाकला, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.950 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	172/3	0.065
	167/2	0.121
	169	0.012
	170	0.081
	172/2	0.040
	172/1	0.012
	171/2	0.012
	146	0.016
	148	0.004
	147	0.061
	149	0.004
	162/4	0.073
	162/3	0.065
	161	0.113
	157/1	0.008
	150/1	0.073
	160/2	0.065
	158	0.012
	159	0.073
	153	0.006
	160/3	0.032
योग	21	0.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जमड़ी माइनर नं. 1 (हसौद वितरक नहर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 251/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम- जमड़ी, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.784 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
270	0.040
269/2	0.057
266/1	0.073
268/1	0.032
268/2	0.081
253/4	0.065
257/1	0.020
253/3	0.036
257/2	0.016
253/1	0.004
258/1	0.004
258/2	0.049
260/1	
258/3	0.004
250	0.089
241/2	0.093
244	0.093
245	0.113
147	0.016
115	0.004
119	0.073
114	0.134
120	0.138
117	
121	0.089
122	
123	
126/1	0.045
125	0.057
148	0.040
142	0.008
143	0.024
141	0.057
135	0.049
134	0.020
162	0.032
165	0.085
136	0.008
166/3	0.004
166/2	0.004
161	0.020
260	0.008
योग 38	1.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जमड़ी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 252/सां-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम- जमड़ी, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.846 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1145	0.097
1146	

(1)	(2)
991	0.045
1147	0.178
1150	0.040
1149	0.105
1151	0.073
1158 1159/2	0.117
1157/4 1157/2	0.093
1157/1	0.223
1175	0.016
1151	0.129
1350	0.275
1177	0.004
1179/1	0.004
1179/2	0.004
1180/1	0.235
1181	0.004
1212	0.012
1254/1	0.162
1213	0.004
1214	0.190
1247	0.146
1249	0.028
1238	0.101
1248/1	0.097
1248/2	0.008
1239	0.073
995/2	0.162
995/1	0.081
990	0.008
992	0.040
993	0.012
965/1 क	0.020
965/1 ख	0.012
965/2	0.020
965/4	0.028
योग 36	2.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जमड़ी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 253/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम- मल्दाकला, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.375 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1390	0.008
208/1	0.012
208/2	0.008
207	0.065
209/1	0.065
209/2	0.065
1846/2	0.081
1846/3	0.040
1846/1	0.040
1864/1	0.004
1848	0.186
1864/2	0.081
1863	0.085
1860	0.117
2194/2	0.081
1884/1	0.073
1884/2	0.016
1886	0.134
213	0.093
207	0.121
योग 20	1.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जमड़ी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 254/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम- झरप, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.187 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/1 क	0.020
24	0.081
25	0.057
28	0.081
29/1	0.117
29/2	0.113
32/1	0.061
33/1	0.061
33/2	0.162
84	0.081
33/3	0.057
86	0.085
144/1	0.109
85	0.089
126	0.121
120/1	0.134
148/1	0.081
120/3	0.134
134/1	0.032
133	
134/2	0.032
135/1	0.045
135/2	0.045
144/3	0.004
32/3	0.081
32/2	0.061
146/2	0.081
145	0.162
योग 27	2.187

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-झरप माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 255/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम- मल्दाकला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.630 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331/2	0.040
333/1	0.081
329/2	0.040
329/1	0.040
326/1	0.093
322	0.049
346	0.089
324/1	0.045
354	0.142
353	0.032
362	0.032
382	0.012
383	0.032
386	0.008
384/2	0.028
384/3	0.036
384/1	0.036
358	0.024
413	0.036
425	0.028
359	0.040
381/2	0.073
324/2	0.040
427	0.069
428/1	0.040
428/2	0.040
543/1	0.101
543/2	0.101
414	0.036
615/1	0.012
415/2	0.045
325/1	0.016
325/2	0.049
360	0.045
योग 34	1.630

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घिवरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 256/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम- घिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.271, हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1027/1	0.214
1214/3	0.057
1217 1218	0.049
1216	0.061
1112 1210	0.008
1214/1	0.121
1214/4	0.057
1214/2	0.061
1214/5	0.089
1151 1150	0.073
1149	0.065
1148/2	0.040
1148/1	0.113
1147	0.162
1146	0.085
1138	0.057
1137	0.057
1135	0.073
1134	0.040
1130	0.028

(1)	(2)
1131	0.045
1129	0.004
1133	0.049
1065/2	0.158
1065/1	0.004
1063/1	0.121
1063/2	0.121
1062	0.045
1027/2	0.214
योग 29	2.271

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घिवरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 257/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम- नगारीडीह, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.047 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253/1 254/2	0.077
253/2 254/3	0.089
255/3	0.121
273	0.121
275/2	0.154
270/2	0.089
276	0.113
270/3	0.004
282	0.121
278	0.004
281	0.154
योग 11	1.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्दा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी. हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 258/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम- मल्दाकला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.969 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1633	0.081

(1)	(2)
1634/1	0.024
1634/2	0.125
1687	0.170
1686/1	0.016
1686/2	0.016
1686/3	0.012
1688	0.036
1683	0.016
1684	0.186
1680	0.020
1681	0.097
1665/1	0.170
योग 13	0.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्दाकला उप-शाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 259/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम; 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम- हनुमंता, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
325/3	0.004
325/2	0.036
163/1	0.008
113/4	0.008
164/3	0.040
164/1	0.053
164/2	0.028
165/1	0.073
175/4	0.057
175/1, 2, 3	0.162
176	0.004
126	0.040
127	
123/1	0.028
115/3	0.049
115/4	0.008
114/3	0.040
115/1	0.053
115/2	0.061
113/5	0.020
113/3	0.049
85/5	0.024
113/2	0.049
84/1	0.073
85/3	
85/1	0.053
128/3	0.182
योग 25	1.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हनुमंता माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2002

क्रमांक 5039/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम- पटपर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-53.99 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
972	2.56
973	0.48
975	0.59
978	1.92
979	4.77
981	1.01
982	2.44
983	1.68
984	0.22
980	1.15
997	0.27
998	5.04
999	2.53
1000	0.71
1018	0.21
1017	0.85
1020	0.21
1019	2.31
1021	8.58
1022	2.58
1023	0.60
1024	2.69
1025	1.33
1026	0.55
1083	1.26
1084	0.09
1085	2.17
1086	0.52
1087	0.52
1088	0.51
1089	0.98
1090	0.29
1091	0.64
1092	1.73
योग	53.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरूहाटोला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2002

क्रमांक 5042/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम- सिंघोला, प. ह. नं. 34/25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
802/1	0.13
योग	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शिवनाथ व्यपवर्तन, (चांदो) के नाला ट्रेनिंग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2002

क्रमांक 5043/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम- साल्हे, प. ह. नं. 65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
191	0.37
योग	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-शिवनाथ व्यपवर्तन, (चांदो) के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक भू-अर्जन/19 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक [illegible] सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घो[illegible] किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आव[illegible] है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भटगांव
- (ग) नगर/ग्राम- बेलटिकरी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.387 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
891/2	0.061
168/2	0.016
199/1	0.100
168/1	0.125
155	0.085
योग 5	0.387

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक भू-अर्जन/20 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम- गोविन्दवन, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.641 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220/7	0.021
912/1	0.016
918/3	0.028
897/1 ग	0.061
1055/2	0.097
2	0.158
996/3	0.065
1012/10	0.122
1012/4	0.102
1104	0.032
897/1 ख	0.053
903/2	0.044
योग 11	0.641

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक भू-अर्जन/21 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भटगांव
- (ग) नगर/ग्राम- ठकुरदिया, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/2	0.058
योग 1	0.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन मुख्य नहर निर्माण के लिये .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक भू-अर्जन/22 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-बिलाईगढ़
 (ग) नगर/ग्राम- छपोरा, प. ह. नं. 6
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	558	0.041
	351/2	0.049
	415/3	0.040
	375	0.016
योग	4	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन मुख्य नहर के लिये .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक भू-अर्जन/23 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-भटगांव
 (ग) नगर/ग्राम- चुरेला, प. ह. नं. 12
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.808 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	176/1	0.201
	176/2	0.220
	186/1	0.089
	186/8	0.081
	312/2	0.217
योग	5	0.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2002

क्रमांक भू-अर्जन/24 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-भटगांव
 (ग) नगर/ग्राम- धारासीव, प. ह. नं. 11
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.473 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12/2	0.028
10	0.016
11	
13	0.084

(1)	(2)
19/2000	0.184
17/1 17/2	0.056
15	0.017
30 31	0.056
227 228	0.004
28	0.004
218/1	0.024
योग 10	0.473

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण के लिये.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम- अमरूवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
4/1 6/5	0.03
6/3	0.20
6/1 6/2	0.34
8/2	0.02
8/5	0.48
8/1	0.03
9/3	0.03
9/2	0.03
9/1	0.06
10/2	0.10
10/1	0.28
योग 11	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अमरूवा जलाशय के अंतर्गत चांदन वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम- गोलाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
44/1 य/3	0.17

(1)	(2)
44/1 य/6	0.17
44/1 म/6	0.17
146/1 छ/1	0.22
योग 4	0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अमरूवा जलाशय के अंतर्गत चांदन वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/4 अ-82 वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर (आरंग)
- (ग) नगर/ग्राम- नारा, प. ह. नं. 62/07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
72	0.05
योग 1	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कोल्हान नाला पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/5 अ-82 वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर (आरंग)
- (ग) नगर/ग्राम- पीपरहट्ठा, प. ह. नं. 66/08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
164	0.07
योग 1	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कोल्हान नाला पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप सचि[illegible]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 मई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-धरमजयगढ़

(ग) नगर/ग्राम- गंजाईपाली, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.478 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.040
82	0.045
83	0.040
84	0.045
86	0.275
88	0.219
89/1	0.263
87	0.551
योग 8	1.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-साका सुन्दरी जलाशय के डूबान क्षेत्र का अतिरिक्त भू-अर्जन बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अगस्त 2001

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम- बायंग, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.737 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1014	0.283
376	0.454
योग 2	0.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है--गनांगुड़ा माइनर नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2002

रा. प्र. क्र./20/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम- कुन्नी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.301 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38	0.154
56	0.056
316	0.016
54/4	0.056
263/2	0.041
662/1	0.008
731	0.024
779	0.032
803	0.016
802/2	0.049
4	0.041
306/8	0.154
792	0.004
322/10	0.048
41	0.141
66	0.041
318	0.073
51	0.049
263/3	0.048
722	0.024
782	0.024
783	0.041
786	0.016
804	0.041
3/2	0.052
1/1208	0.392
263/4	0.036
322/14	0.021
45	0.021
67	0.024
319	0.041
791/1	0.049
273	0.081
725	0.170
732/1	0.016
784	0.065
801/1	0.049
69/3	0.024
36	0.113
69/1	0.012
660	0.004
322/11	0.381
46	0.065
306/2	0.130
49	0.081
263/1	0.072
274/3	0.028
781	0.032
737	0.081
297/1	0.016
736/2	0.032
314	0.121
43	0.056
724	0.057
661	0.036
322/12	0.016
34	0.065
313	0.041
53	0.041
791/2	0.049

(1)	(2)
33/1	0.049
730	0.056
738	0.056
785	0.065
802/1	0.052
315	0.071
44	0.024
721	0.024
662/2	0.016
299	0.008
योग	4.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-दुर्गा जलाशय का नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 जून 2002

रा. प्र. क्र./21/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम- बदौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.249 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
190/1	0.128
461/1	0.121
योग	0.249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बदौली जलाशय का नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र.1415/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम- चेरवाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.847 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
47	1.150
54	2.202
58	0.190
60	0.090
79	0.610
81	0.040
82	0.101
46	0.250
77	0.130
78	0.150
96	0.100

(1)	(2)
44	0.110
45	0.020
113	0.250
100	0.100
42	0.100
43	0.020
112	0.150
101	0.090
69	0.320
110/1	0.071
102	0.180
110/2	0.020
56/1	0.220
68	0.060
70	0.140
56/2	0.220
111	0.100
8	0.510
74	0.900
245	0.030
71	0.080
208	0.061
105	0.360
109	0.100
104	0.960
73	0.600
40	0.320
114	0.150
108	0.320
50	0.60
76	0.120
93	0.053
209	0.054
244	0.020
246	0.061
255	0.062
282	0.042
72	0.500
योग 49	12.847

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामचन्द्रपुर तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र.1417/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम- विशुनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.619 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
762	0.700
772	0.070
774	0.105
786	0.222
720	0.320
799	0.691
800	0.770
796	0.150
672	0.810
809	0.500
675	2.110
677	0.405
726	0.030
735	0.020
737	0.110
802	0.230

(1)	(2)
803	0.230
801	1.110
804	1.240
807	0.200
813	0.207
योग 21	9.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-विशुनपुर, रामचन्द्रपुर जलाशय डूब हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र. 1443/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम- रामानुजगंज
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
105	0.09
179	0.11
1401	0.07
103	0.34
योग 4	0.61

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामानुजगंज-वाड्रफनगर, रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र. 1445/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-पाल
- (ग) नगर/ग्राम- चन्दनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
92/21	0.324
योग 1	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामानुजगंज अंबिकापुर रोड निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र. 1449/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा
 (ख) तहसील-पाल
 (ग) नगर/ग्राम- रामानुजगंज
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
161	0.10
योग 1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामानुजगंज-वाड्रफनगर रोड निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र. 1451/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा
 (ख) तहसील-पाल
 (ग) नगर/ग्राम- रामानुजगंज
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 1/2 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
161/2	0.01/2
161/1	0.07
योग	0.07 1/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रामानुजगंज-वाड्रफनगर रोड निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 जुलाई 2002

रा. प्र. क्र./1453/अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा
 (ख) तहसील-पाल
 (ग) नगर/ग्राम- तातापानी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.29 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174	2.02
185	0.24
186	0.24
188	0.14
189	0.14
196	0.58
197	0.93
योग 7	4.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-तातापानी थर्मल पावर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-मस्तुरी
 (ग) नगर/ग्राम- कौड़िया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.773 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
18/5	0.142
842/1	0.729
18/2	0.032
501/11	0.809
18/6	0.061
योग 5	1.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जाता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 जून 2002

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-मस्तुरी
 (ग) नगर/ग्राम- सीपत
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.145 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1113/2	0.405
1123/3	0.405
981/4	0.607
985/1 ख	0.101
1145/3	0.405
940/3	0.194
857/1	0.028
858/1	
859/1	
योग 7	2.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जाता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जून 2002

प्र. क्रमांक/4/ अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव वैंकट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.497 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
268	0.069
270	0.048
279/1	0.036
276	0.040
271	0.020
273	0.024
274	0.024
280	0.036
281	0.028
320/3	0.016
320/1	0.028
324	0.024
319	0.032
322	0.016
323	0.052
371	0.004
योग 16	0.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनु. वि. अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2002

प्र. क्रमांक/5/ अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री तालाब
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.801 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/14	0.178
3 4/1	0.040
4/2/ख	0.028
5/1	0.008
34/1	0.056
35/1 ख 35/2 ख	0.044
119 120	0.048
115/2 117/2	0.085
118	
2/13	0.085
107/2	0.068
111/1 117/1	0.012
115/1	0.036
124 125 26 126 127	0.133
128/1 129/2	0.032

(1)	(2)
429	0.081
571/1-2	0.299
473/2	
474/2	
475/2	
581/1	0.004
569/1	0.101
569/4	
569/5-6	0.012
567/2	0.012
103/2	0.061
104	0.024
107/4	0.040
98	0.089
430	0.052
44/1	0.089
473/1	0.048
568/1	0.036
योग 20	1.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनु. वि. अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2002

प्र. क्रमांक/6/ अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-तुलासाघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.704 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
112	0.465
94	0.150
103/4	0.109
100/2	0.178
103/1	0.287
106/2	0.065
107/1	0.125
107/2	0.125
103/5	0.162
100/4	0.040
105/1	0.016
100/3	0.065
106/10	0.040
106/3	0.040
123/12	0.332
123/16	0.133
103/6	0.093
103/10	0.069
103/2	0.040
103/3	0.109
103/9	0.061
योग 21	2.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनु. वि. अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2002

प्र. क्रमांक/7/ अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-राम्हेपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.233 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	64/4, 65/2	0.064
	64/1, 65/1	0.024
	64/2	0.036
	71/1	0.064
	71/2	0.069
	127/2	0.008
	128, 129	0.117
	71/12	0.044
	180/2	0.056
	145	0.008
	179	0.048
	194	0.016
	174/1, 175	0.101
	195	0.052
	196/1	0.044
	197/1	0.008
	199/5	0.125
	286/2, 287/2	0.052
	286/3, 287/3	0.048
	258/8	0.052
	258/17	0.012
	258/2	0.036
	286/1	0.069
	287/1	
	261/2, 127/4	0.024
		0.012
योग	26	1.233

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनु. वि. अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2002

प्र. क्रमांक/8/ अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-महरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.417 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/1	0.004
66/2	0.052
75/1	0.048
73/3	0.004

(1)	(2)
76/2	0.020
72/1	0.044
72/2, 82/3	0.024
91	0.073
96	0.004
89/1	0.040
88/2	0.040
90	0.008
67/2	0.004
74	0.024
73	0.028
योग 15	0.417

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनु. वि. अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जून 2002

प्र. क्रमांक/9/ अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-ढोलगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.564 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/3	0.012
2/7	0.028
10/2, 13	0.061
14, 15	0.105
16/1	0.182
16/2	0.008
17	0.024
45/1	0.069
45/4	0.121
46/2	0.141
46/5	0.105
46/8	0.052
46/9	0.008
47/2	0.073
47/3	0.004
48/2	0.016
76/4	0.028
432/1	0.081
143	0.113
437/13	0.028
144	0.089
145/1	0.048
146	0.109
147	0.004
148/2	0.004
213/4	0.004
216/2	0.008
217/1	0.303
141	0.150
218, 219, 220	0.113
380/2, 381/2, 382/2	0.255
381/1, 382/1	0.376
413	0.048
417	0.113
418/2	0.263
425/3	0.016
425/10	0.056

(1)	(2)
426/1	0.061
428/2	0.056
428/3	0.085
429	0.065
430/2	0.251
437/1	0.065
437/2	0.081
437/16	0.044
437/4	0.044
437/9	0.105
437/11	0.061
77/1	0.032
78	0.004
80	0.016
81/1	0.036
381/12 382/12	0.004
2/6	0.316
योग 54	4.584

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनु. वि. अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 जुलाई 2002

प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (संशोधन) 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सेखवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.542 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1145/1	0.291
1146	0.871
1147	0.293
1155/2	0.133
1153	0.040
1154/1	0.113
1155/1	0.032
1154/3 1154/4	0.032
1150	1.323
1157/1	0.486
1151	0.348
1152	1.117
1156	0.494
योग 10	5.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-विद्युत उप-केन्द्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक/01/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-बीजापुर
(ग) नगर/ग्राम-बीलापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
918/1	0.02
योग 1	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पंप हाऊस निर्माण बीजापुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2002

क्रमांक 4084/क/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-बीजापुर
(ग) नगर/ग्राम-दोगोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
189	0.34
190	0.10
197/2	0.44
350/2	0.59
312/2	0.22
325/1	0.10
325/2	0.16
355/1	0.07
355/2	0.07
321/1	0.02
321/1	0.05
321/1	0.05
321/1	0.05
योग	2.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी. बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2002

क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-बीजापुर
(ग) नगर/ग्राम-भैरमगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.508 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23	0.048

(1)	(2)
34/1	0.048
600	0.056
602	0.080
603	0.064
584/2	0.016
582	0.056
659/4	0.048
501/2	0.072
659/8	0.048
604	0.076
569	0.036
568/7	0.004
568/3	0.004
526/2	0.004
440	0.064
443	0.216
444/2	0.208
445	0.120
469/4	0.112
499/2	0.048
500/2	0.020
425/4	0.004
425/6	0.004
425/5	0.004
425/2	0.004
599	0.040
842/5	0.004
योग	1.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 9 जुलाई 2002

क्रमांक 2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.600 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12	0.048
82	0.036
14	0.096
16	0.084
17	0.036
19	0.012
59	0.096
65	0.072
86	0.120
योग	0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 4/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतरापाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/2	0.060
15/4	0.010
योग	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 5/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मिनंगाचल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.845 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.040
28/3	0.300
28/10	0.005
28/8	0.005
24	0.170
13/1	0.080
14/1	0.015
13/2	0.070
10	0.160
योग	0.845

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-जांगला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.207 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/2	0.002
186/2	0.040
169/2	0.040

(1)	(2)
170	0.030
171/4	0.005
188/7	0.100
योग	0.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 7/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-नेलसनार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.48[illegible] [illegible]यर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
685/2	0.061
687/1	0.202
695	0.121
654	0.081
727	0.040
729	0.008
653/2	0.223
730/1	0.182
751/1	0.040
751/2 क	0.040
753	0.097
529	0.081
581	0.121
582	0.101
564	0.364
578/1 क	0.061
578/1 ख	0.040
578/1 ग	0.223
101/1	0.121
101/3	0.081
39/2	0.231
40	0.202
647	0.061
645	0.101
646	0.162
648	0.008
756	0.020
758	0.020
532/2	0.162
759	0.020
602	0.040
598/2	0.028
598/1	0.121
540	0.061
118/1	0.162
118/3	0.028
100/1	0.121
104/1	0.061
104/3	0.040
119/1	0.061
119/3	0.049
122/1	0.162
50/1	0.028
75	0.081
योग	4.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-कोडोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.869 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/1	0.081
9/3	0.142
2/5	0.121
6/1	0.101
6/3	0.060
7/1	0.162
7/3	0.202
योग	0.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-जैतालुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42/2	0.072
योग	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-बीजापुर

(ग) नगर/ग्राम-धनोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174	0.144
योग	0.144

(1) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 12/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-माझीगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.288 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	131	0.288
योग		0.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिन्नाकोड़ेपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.808 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	123/4	0.050
	123/6	0.080
	123/2	0.200
	123/5	0.120
	125/4	0.350
	125/5	0.008
योग		0.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नुकनपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	38/2	0.104
योग		0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1204/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1604	0.37
1579	0.12
1581	1.00
1564	0.15
1566	0.01
1208	0.77
1606	1.00
1592	0.39
1580/1	0.04
1582	0.016
1565	0.040
1567	0.04
1212	0.22
1211	0.25
1588	0.32
1580/2	0.04
1583	0.37
1605	0.61
1562	0.22
1213	0.15
1587	0.20
1580/3	0.04
1578/1	0.92
1603	1.11
1563	0.22
1214	0.17
योग '26	9.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मटिया मांर्ता नाला नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1205/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-माहुद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)	(1)	(2)
(1)	(2)	480	0.10
		1135	0.08
771	0.13	421	0.03
1132	1.36	1027/4	0.05
1114/1	0.98	827/2	0.56
827/1	0.32	1111/1	0.01
485/3	0.27	1106/2	0.02
475	0.54	1099/2	0.34
769	0.03	457/2	0.52
1131	0.16	1244	0.12
1027/1	0.52	1242	1.22
770	0.12	457/1	0.17
1130	0.26	1108	0.42
1110	0.26	482	0.16
468	0.59	485/2	0.26
1027/3	0.09	1105/5	0.27
484	0.30	474/2	0.70
785	0.27	422/2	0.20
459	0.33	452	0.01
928	0.05	1113/1	0.12
768	8.07	1114/2	0.66
822/2	0.04	826	0.10
822/3		485/1	0.28
414	0.85	1105/3	0.39
451/2	0.58	416	0.35
418	0.02	377	0.40
479	0.09	1026	0.20
1111/3	0.45	796	0.38
767	0.15	1105/4	0.35
477	0.10	1107	0.95
415/2	0.08	417	0.34
1255	0.50	1025	0.24
1104/2	0.02	1245	0.64
1133	0.18	822/1	0.03
827/3	0.44	423/1	0.38
483/4	0.20	794	0.04
1105/2	0.20	422/1	0.20
478	0.12	786	0.37
783	0.02	377	0.03
1027/2	0.04	1290	
423/2	0.58	424	0.04
784	0.52	795	0.02

(1)	(2)
481	0.74
444	0.10
460	0.28
474/1	0.36
788	0.01
योग 86	25.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मटिया मोती नाला नहर उप संभाग क्रमांक 3.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1206/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1	0.15
2	0.80
3	0.25
4	0.65
योग 4	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1207/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-बघेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.48 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
895/1	0.40
959/2	0.03
958	0.15
951	0.06
922	0.10
909	0.40
908	0.44
736/14	0.36
735	1.60
962	0.21
959/3	0.04
955	0.05
952	0.35
921	0.10
919	0.30
910	0.20

(1)	(2)
736/1	0.39
960	0.17
959/1	0.03
957	0.20
956	0.10
927	0.04
918	0.25
920	0.20
736/6	0.20
736/4	0.05
915	0.06
योग 27	6.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1208/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-दुर्ग
   (ख) तहसील-गुण्डरदेही
   (ग) नगर/ग्राम-गुडेला
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
751	0.06
762	0.06
755	0.30
661/1	1.45
753	0.35
756	0.37
666	0.12
662/1	0.70
761	0.75
757	0.15
665	0.55
योग 11	4.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1209/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-दुर्ग
   (ख) तहसील-गुण्डरदेही
   (ग) नगर/ग्राम-मोंहदीपाट
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
546/1	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
466/2	0.05	367/2	0.02
554/1	0.10	354/2	0.40
545/4	0.20	361/1	0.20
553/1	0.12	359/1	0.03
550/2	0.01	363/2	0.02
555/2	0.20	546/2	0.40
529/1	0.40	545/1	0.30
533/1	0.15	360/1	0.35
467/4	0.30	552/1	0.30
526	0.01	543/2	0.45
524/2	0.04	554/5	0.75
503/4	0.25	466/5	0.35
561/3	0.01	534/1	0.20
462/3	0.12	534/6	0.30
467/3	0.20	533/2	0.10
394/3	0.60	533/3	0.10
368/1	0.40	527/4	0.05
361/3	0.10	466/1	0.25
365/2	0.20	461/1	0.05
354/1	0.35	462/2	0.30
362/2	0.60	365/3	0.05
340/12	0.35	394/2	0.12
503/8	0.20	377/1	0.15
546/3	0.07	333/1	0.10
545/2	0.05	368/3	0.05
544/1	0.05	367/3	0.25
540/1	0.02	365/4	0.02
554/3	0.05	361/6	0.17
503/3	0.37	339/3	0.10
556/1	0.50	556/4	0.10
534/5	0.05	553/2	0.20
339/1	0.12	545/3	0.01
464	0.27	543/1	0.10
527/3	0.40	552/2	0.50
503/2	0.10	550/1	0.10
474/1	0.55	591/4	0.35
462/1	0.12	534/2	0.05
463	0.35	361/2	0.30
394/1	0.30	530	0.30
377/3	0.40	531	0.20
390/3	0.35	525	0.35
368/2	0.40	591/1	0.10

(1)	(2)
461/2	0.10
462/4	0.01
459/2	0.10
361/4	0.01
390/2	0.30
333/2	0.10
367/1	0.05
365/1	0.35
364	0.25
360/2	0.33
340/11	0.15
योग 96	20.03

(2) सार्वजनिक . प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक 1894/1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-थनौद, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2328	0.06
2334	0.14
2346	0.01
2344/3	0.02
2353/2	0.12
2519	0.04
2632	0.01
2616	0.09
2111	0.02
2599	0.16
2563	0.10
2544	0.01
2533	0.04
2610	0.08
2314	0.11
2298	0.04
2325	0.03
2338	0.08
2607	0.11
2345/3	0.10
2627	0.02
2622	0.12
2612	0.09
2615	0.05
2598	0.07
2565	0.07
2553	0.09
2527	0.01
2547	0.04
2528	0.01
2309	0.06
2301	0.02
2536	0.04
2618/1	0.01
2646	0.14
2349	0.03
2313	0.17
2628	0.09
2617	0.07
2734	0.09
2112	0.03
2567	0.04
2551	0.10

(1)	(2)
2532	0.01
2531	0.09
2529	0.05
2296	0.06
2289/2	0.04
2331	0.10
2339	0.13
2699	0.10
2351	0.25
2626	0.25
2630	0.01
2337	0.03
2611	0.11
2600	0.09
2559/2	0.15
2548	0.28
2534	0.04
2530	0.09
2103	0.01
2299	0.04
2608	0.01
2288	0.05
2251	0.01
2108	0.02
2092	0.05
2651	0.02
2613	0.01
2732/1	0.04
2596	0.02
2700	0.02
2618/2	0.10
2289/1	0.03
2637	0.01
2096	0.05
2259/4	0.04
2107	0.07
2091	0.02
2640	0.01
2609	0.09
2736	0.01
2525	0.09
2691	0.01
2326	0.03
2289/3	0.04
2669	0.03
2254	0.04
2518/4	0.01
2631	0.04
2629	0.01
2648/2	0.03
2729	0.04
2597	0.04
2535	0.01
2692	0.05
2335	0.13
2518/3	0.03
2558	0.01
2252/1	0.07
2110	0.05
2095/2	0.05
2652	0.11
2647	0.02
2730	0.02
2595	0.03
2526	0.01
2654	0.05
2566	0.09
2109	0.02
योग 111	6.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-थनौद उद्वहन सिंचाई योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक 697/प्र.-1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-साजा
(ग) नगर/ग्राम-गाड़ाघाट, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
434	0.10
516	0.01
522	0.01
517	0.01
470	0.15
704	0.70
482	0.02
720	0.70
योग 8	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन (बंडपार एवं डूबान).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, साजा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 1228/भू-अर्जन/2002.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-बरहापुर, प. ह. नं. 9
(घ) लगभग क्षेत्रफल-77.98 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
498/1	0.20
131/2	1.10
134/1	2.54
134/2	2.55
136/3	0.96
495/2	0.50
137	5.46
139	5.67
141/1	2.50
143/2	1.00
481/1	0.38
485/1	2.33
486	3.22
490	0.99
492/1	0.69
492/2	1.25
492/3	0.57
142	12.65
144	9.96
148/1	0.50
136/1	0.90
136/6	1.24
136/7	1.38
136/8	1.37
136/2	0.90
485/2	3.03
136/4	0.90
136/5	1.30
136/9	1.10
136/10	1.12
135	3.05
496/1	0.20
496/4	0.33
140/6	0.43
481/4	1.16
131/4	1.00
145	1.20
147/5	0.85
481/2	0.39
479	1.11
योग 40	77.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकोली जलाशय के डूबान में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय, में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 1229/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-बरहापुर, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.57 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
382	0.03
383/1	0.11
383/2	0.09
384	0.30
1849	0.08
833	0.20
834	0.25
1101	0.17
1100	0.02
1107	0.01
1106	0.02
1111	0.03
1113	0.03
1105	0.02
1109	0.09
1847	0.22
1112	0.03
1135	0.01
1138	0.08
1136	0.06
1137	0.07
1140	0.01
1146	0.02
1843	0.12
1145	0.01
1841	0.04
1842	0.01
1844	0.05
1845	0.04
1846/1	0.04
1846/2	0.06
1842	0.01
1832/1	0.02
1832/2	
1857	0.02
1878	0.04
1888	0.02
466	0.05
469	0.01
1879/1	0.06
1879/2	
1979/3	
832/1	0.02
832/2	
योग	2.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -अकोली जलाशय के मुख्य नहर अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय, में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 1230/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-रूहा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.89 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22	0.09
269	0.10
271	0.01
276	0.02
277	0.65
3-73	0.19
29	0.07
36	0.08
37	0.54
39	0.08
49	0.02
50	0.08
57	0.05
238	0.11
268	0.15
275	1.03
387	0.25
267/3	0.04
290	0.41
294	0.14
296	0.05
46	0.08
56	0.04
59	0.42
237	0.16
67	0.03
69	0.20
285	0.22
286	0.25
291	0.02
297	0.08
292	0.02
293	0.08
295	0.05
298	0.16
299/4	0.18
375	0.12
390	0.13
374	0.14
378	0.21
68	0.02
389	0.12
योग 42	6.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - आमनेर मोतानाला डी/एस के मुख्य नहर में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 1231/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-खिलोराकला, प. ह. नं. 20/13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.58 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
403	0.39
398	0.16
355/1	0.35
675	0.12
399/1	0.43
399/2	0.13
396/1	0.21
396/3	0.14
388	0.27
380	0.63

(1)	(2)
381/4	0.27
379/1	0.25
249	0.15
250	0.08
374	0.17
251/1	0.13
258	0.15
251/2	0.15
252	0.06
253/2	0.04
253/1	0.02
254	0.20
255/2	0.19
259	0.15
590	0.05
346	0.10
342	0.03
347	0.12
939	0.08
976	0.02
348	0.19
997	0.03
591/1	0.10
589/1	0.02
592/2	0.08
615/1	0.06
616	0.12
614/1	0.20
676	0.01
747	0.04
987	0.04
748	0.05
751	0.04
750	0.01
752	0.04
998	0.01
988	0.04
986	0.05
981	0.05
982	0.01
975	0.03
974	0.08
753	0.04
योग 53	6.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - आमनेर मोतानाला डी/एस के मुख्य नहर/शाखा नहर में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 1232/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक : सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-डंगनिया, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.14 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
329	0.28
326	0.07
348	0.13
337	0.05
404	0.19
320	0.04
321	0.03
356	0.10
342	0.10
338	0.05

(1)	(2)
339	0.05
324	0.03
403	0.02
योग 13	1.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अकोली जलाशय के बिरझापुर शाखा नहर में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2002

क्रमांक 1233/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-दुर्ग
   (ख) तहसील-धमधा
   (ग) नगर/ग्राम-पेन्डरी, प. ह. नं. 13
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.59 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56	0.02
57	0.48
59	0.14
113	0.20
58	0.19
75/4	0.52
110	0.05
111	0.12
417	0.03
109	0.35
101	0.17
100	0.06
102	0.10
441	0.08
99	0.08
103	0.02
97/1	0.17
97/2	0.16
97/3	0.14
359	0.01
356	0.08
373	0.08
374/1	0.09
360	0.02
325	0.03
354	0.04
357	0.06
402	0.01
419	0.02
361	0.02
355	0.06
438	0.02
440	0.03
369	0.01
478	0.03
370	0.09
371	0.02
412	0.01
411	0.05
436	0.07
439	0.09
437	0.05
458	0.05
442	0.02
445	0.05
446/1	0.09
485	0.33
112	0.03
407	0.01
118/1	0.08
121	0.30
236	0.12

(1)	(2)
237	0.01
324	0.01
405	0.04
321	0.01
323	0.03
397	0.03
326	0.02
401	0.05
408	0.03
396	0.02
404	0.01
406	0.01
418	0.06
459/1	0.04
479	0.05
480	0.02
योग 68	5.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - आमनेर मोतीनाला डी/एस के मुख्य नहर/शाखा नहर में अर्जित भूमि. -

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 2005/नि. क्षे./14/नग्रानि/2002.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 क्रमांक 23 सन् 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बालोद निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत किया गया है.

अनुसूची

बालोद निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम खैरतराई तथा बघमरा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	-	ग्राम हीरापुर तथा सिवनी की पूर्व सीमा तक.
दक्षिण में	-	ग्राम सिवनी तथा पाररास की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	-	ग्राम खैरतराई, पाररास तथा सिवनी का पश्चिमी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किये गये एवं अंगीकृत मानचित्र तथा रजिस्टर दिनांक 25-6-2002 से 2-7-2002 तक नगर पंचायत कार्यालय वालोद तथा कार्यालय, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश-दुर्ग के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है.

जाहिद अली,
उप संचालक.

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय—बी-9, कुतब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली—110016

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित की धारा 28 (3) के अंतर्गत रायपुर-राउरकेला 400 केवी डी/सी लाइन पर क्रमिक क्षतिपूर्ति (एफ एस सी एवं टी सी एस सी) की योजना की अधिसूचना

जैसा कि, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित की धारा 28 (3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के क्रियान्वयन में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि., जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली—110016 में है, उक्त अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक जनरेटिंग कम्पनी (अब से पावर ग्रिड के रूप में विदित), द्वारा देश में एक समन्वित एवं कारगर बिजली सम्प्रेषण प्रणाली के नेटवर्क को विकसित करने के उद्देश्य से रायपुर-राउरकेला 400 केवी डी/सी लाइन पर क्रमिक क्षतिपूर्ति (एफएससी एवं टीसीएससी) की स्थापना, निर्माण, परिचालन एवं रखरखाव से संबंधित योजना तैयार कर ली गयी है एवं उसे मंजूर की जा चुकी है.

और जैसा कि, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 28 (3) के अंतर्गत पावर ग्रिड से ऐसी योजनाओं को संबंधित राज्य के अधिकारिक गजट तथा पावर ग्रिड जिसे आवश्यक समझे, उन्हें स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाने की अपेक्षा की जाती है.

अतः अब, पावर ग्रिड एतद्द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 42 के साथ पठित धारा 28 (3) के अनुसार इस योजना को इस प्रकार से प्रकाशित कर रहा है :—

योजना का नाम : इस योजना को "रायपुर—राउरकेला 400 केवी डी/सी लाइन पर क्रमिक क्षतिपूर्ति (एफएससी एवं टीसीएससी)" के रूप में जाना जाएगा.

मुख्य विशेषताएं : इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी रूप में होगी :

1. रायपुर-राउरकेला 400 केवी डी/सी लाइन पर 5-15% थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सिरीज कंपेन्सेशन (टीसीएससी) के साथ 40% फिक्स्ड सिरीज कंपेन्सेशन (एफसीएस) का प्रावधान.

स्थान : ये सम्प्रेषण लाइन एवं सब-स्टेशन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में स्थित हैं तथा नीचे वर्णित निम्नलिखित जिलों से होकर गुजरेंगे :

क्रम सं. (1)	सम्प्रेषण लाइन/सब-स्टेशन (2)	राज्य (3)	जिला (4)
1.0	रायपुर-राउरकेला 400 केवी डी/सी लाइन पर 5-15% थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सिरीज कंपेन्सेशन (टीसीएससी) के साथ 40% फिक्स्ड सिरीज कंपेन्सेशन (एफसीएस) का प्रावधान.	छत्तीसगढ़ उड़ीसा	दुर्ग सुन्दरगढ़

संस्थापन : यह सम्प्रेषण प्रणाली निवेश की स्वीकृति की तिथि से 24 महीने के भीतर संस्थापित होने के लिये अनुसूचित है.

अनुमानित लागत : इस सम्प्रेषण प्रणाली की लागत तीसरी तिमाही 2001 के मूल्य स्तर के आधार पर रु. 6.99 करोड़ के निर्माण के दौरान ब्याज (आई डी सी) के साथ रु. 96.90 करोड़ अनुमानित है एवं इंडीकेटिव पूर्णता लागत रु. 7.30 करोड़ के आई डी सी के साथ रु. 103.54 करोड़ है.

लाभों का औचित्य : (क) प्रस्तावित प्रणाली की परिकल्पना रायपुर-राउरकेला 400 केवी डी/सी लाइन की लोड क्षमता के विस्तार के लिये की गयी है. (ख) इस सम्प्रेषण प्रणाली के संस्थापन से घरेलू उपभोक्ताओं को उपयुक्त राहत के साथ ही साथ इन क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1918 के प्रावधानों के अनुपालन में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन के लिये उक्त अधिनियम के अंतर्गत एक जेनरेटिंग कम्पनी में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा. एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, यथा संशोधित की धारा 42 के अनुसार पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. स्वीकृत योजना को शुरु कर रहा है एवं सम्पादित कर रहा है तथा उसे विद्युत के सम्प्रेषण एवं वितरण के लिये अथवा ऊपर दर्शाये गये क्षेत्रों, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 16, 18 एवं 19 के प्रावधानों के होते हुए भी, स्थापित एवं प्रबंधित टेलीग्राफ्स अथवा इस प्रकार से स्थापित होने वाली अथवा प्रबंधित टेलीग्राफ्स के मामले में भारतीय टेलीग्राफ्स अधिनियम, 1885 के भाग-III के अंतर्गत जिस पर टेलीग्राफ्स प्राधिकरण का अधिकार है, के लिये जेनरेटिंग कम्पनी के कार्यों के उपयुक्त समन्वय के लिये आवश्यक टेलीग्राफिक अथवा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन्स के सम्प्रेषण के लिये किसी भी वायर्स, पोल्स, वाल ब्रैकेट्स, स्टेज एपरेट्स एवं एप्लिएंसेज को लगाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा.

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, यथा संशोधित की धारा 28 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार कारपोरेशन द्वारा उपरोक्त योजना की मंजूरी को एतद्द्वारा अधिकारिक गजट एवं अग्रणी स्थानीय दैनिक में प्रकाशन के माध्यम से सर्वसाधारण के लिये अधिसूचित किया जाता है.

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. के आदेश से एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
(दिव्या टंडन)
कम्पनी सचिव.

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

B—9, QUTAB INSTITUTIONAL AREA, KATWARIA SARAI, NEW DELHI—110016

Notification of Scheme for Series Compensation (FSC & TCSC) on Raipur-Rourkela 400 KV D/C Line under Section 28 (3) of Electricity (Supply) Act, 1948 as amended.

WHEREAS, in exercise of its power under Section 28 (3) of the Electricity (Supply) Act. 1948 as amended the scheme relating to the establishment construction, operation and maintenance of Series Compensation (FSC & TCSC) on Raipur-Rourkela 400 KV D/C Line has been prepared and sanctioned by Power Grid Corporation of India Ltd., having its registered office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi—110016, a Generating Company set-up by Government of India under the aforesaid Act (hereinafter referred to as POWER GRID) with a view to develop an integrated and efficient power transmission system network in the country.

AND WHEREAS, under Section 28 (3) of Electricity (Supply) Act, 1948 POWER GRID is required to cause such scheme to be published in the official Gazette of States concerned and in such local newspapers as the POWER GRID may consider necessary.

NOW, THEREFORE, THE POWER GRID hereby publishes the scheme in terms of Section 28 (3) read with Section 42 of the aforesaid Act as follows :

Name of the Scheme : The scheme shall be called "Series Compensation (FSC & TCSC) on Raipur-Rourkela 400 KV D/C Line."

Salient Features : The salient features of the project shall be as given below :

1. Provision of 40% Fixed Series compensation (FCS) alongwith 5-15% Thyristor Controlled Series Compensation (TCSC) on Raipur-Rourkela 400 KV D/C Line.

Location : The transmission line and sub-stations are located in the states of Chhattisgarh and Orissa and shall traverse thorugh the following Districts as delineated below :

Sl. No. (1)	Transmission Line/Substation (2)	State (3)	District (4)
1.0	Provision of 40% Fixed Series compensation (FCS) alongwith 5-15% Thyristor Controlled Series Compensation (TCSC) on Raipur-Rourkela 400 KV D/C Line.	Chhattisgarh Orissa	Durg Sundergarh

Commissioning : The Transmission system is scheduled to be commissioned within 24 months from the date of investment approval.

Estimated Cost : The Transmission system is estimated to cost Rs. 96.90 crores including interest during construction (IDC) of Rs. 6.99 crores at IIIrd Qtr. 2001 price level and indicative completion cost is Rs. 103.54 crores including IDC of Rs. 7.30 crores.

Justification and Benefits : (a) The proposed system has been conceived for enhancement of loadability of Raipur-Rourkela 400 KV D/C Line. (b) With the commissioning of this transmission system, there shall be boost to agriculture & industry in the Regions besides appreciable relief to domestic consumers.

In pursuance of the provision of Electricity (Supply) Act, 1948, the Power Grid Corporation of India Ltd., shall exercise all powers vested in a generating company under the said Act for the purpose of implementation of the aforesaid scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act. 1948 as amended

the Power Grid Corporation of India Ltd., is undertaking and executing the sanctioned scheme and shall have all the powers for placing of any Wires, Poles, Wall Brackets, Stays Apparatus and Appliances for the transmission and distribution of Electricity or for transmission of Telegraphic or Telephonic communications necessary for proper co-ordination of the works of the generating company for the areas indicated above, which the telegraphs authority possesses under Part-III of the Indian Telegraphs Act, 1885 in respect of Telegraphs established and maintained or to be so established or maintained notwithstanding the provisions of Section 12 to 16, 18 and 19 of the Indian Electricity Act, 1910.

In terms of the provisions contained in Section 28 (3) of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, the sanction of the aforesaid scheme by the Corporation is hereby notified to the general public by publication in the Official Gazette and leading local daily.

By the order and on behalf of Power Grid Corporation of India Ltd.,

Sd/-
(Divya Tandon)
Company Secretary.